ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :

(क) और (ख) कोसी जल-विद्युत केन्द्र के लिए स्वीकृत फरवरी, 1964 में दी गयी थी। विद्युत केन्द्र में 4.8–4.8 मेगावाट को चार उत्पादन यूनिटें नीचे लिखे अनुसार चालू कर दी गई थी :—

यूनिट–1	1970
यूनिट–2	1971
यूनिट–3	1973
यूनिट 4	1977

बिद्युत केन्द्र में बिजली का उत्पादन हो रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Rehabilitation of Persons Displaced as a Result of Setting up of H.E.C., Ranchi

1968. SHRI R. L. P. VERMA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of persons who were displaced as a result of setting up of Heavy Engineering Corporation (Ranchi);

(b) steps taken by Government for their rehabilitation and the number of families which have not been rehabilitated so far; and

(c) whether Government have given preference in providing means of livelihood to the displaced families of Haria (H.E.C.); if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a). A total number of 3,090 families were displaced as a result of acquisition of land for setting up the Heavy Engineering Corporation at Ranchi.

(b) The Government and the HEC have taken a number of steps for rehabilitation of the displaced families. In conformity with the assurance given to the displaced persons that one member from each of the displaced families will be given employment in HEC, so far employment has been given to members of 2,582 families.

Employment to members of the remaining families could not be given earlier as some of them were not traceable at the time of initial offers while others were not able to furnish documentary proof of displacement. members of 98 families were not interested in employment to HEC. HEC have recently received requests from 193 persons from out of these families for employment. Steps are being taken to offer them employment in HEC on the basis of their suitability.

Besides offering employment HEC gives first preference to the displaced persons in allotment of shops and lease of land for construction of shops in the HEC township.

(c) HEC has all along given preference to the members of the displaced families in providing them a means of livelihood.

उत्तर प्रदेश के मेरठ और बिजनौर जिलों को जोड़ने वाला गंगा नदी का पुल

1969. श्री कैलाश प्रकाश : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ और बिजनौर जिलों को जोड़ते हुए गंगा नदी पर पुल बनाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया था और तत्कालीन प्रधान मंत्री ने बिजनौर जिले में गंगा तट पर स्थित विदुर कुटी के पास उसकी आधारशिला भी रखी थी ; और

(ख) पुल के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है और अगर अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है, तो इसके क्या कारण है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख). मेरठ तथा बिजनौर को मिलाने वाला प्रस्तावित गंगा पुल राज्य सड़क पर पड़ेगा । इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यतः परियोजना से संबंधित है तथा इस पुल की एक योजना कुछ समय पूर्व भी तैयार की गई जिसका शिलान्यास उस समय के प्रधान मंत्री द्वारा किया गया । परन्तु राज्य सरकार ने इस परियोजना को अपने अन्तर्राज्यीय तथा आर्थिक महत्व के राज्य सड़क के केन्द्रीय सहायता के 302.43 लाख रु० की ऋण सहायता कार्यक्रम के अपने प्रस्तावों में शामिल किया जिसका जनवरी, 1977 में अनुमोदन किया गया । राज्य सरकार द्वारा सूचित नवीनतम स्थिति के अनुसार प्रश्नगत सड़क पुल को अब प्रस्तावित गंगा नदी के बांध क साथ संयुक्त अंगभूत परियोजना रूप के में जोड़ दिया गया है चूंकि प्रस्तावित बांध का विस्तृत सर्वेक्षण तथा नमूना अध्ययन आवश्यक होगा तथा इसके प्रबंध किए जा रहे है । इसलिए और प्रगति राज्य सरकार द्वारा माडल के अध्ययन के पूरा किए जाने पर ही की जा सकती है ।

राजस्थान को सीमेण्ट का आबंटन

1970. **श्री मीठा लाल पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार को जनवरी 1977 से सितम्बर, 1977 तक सीमेंट की कितनी मात्रा का आबंटन किया गया;

(ख) सीमेंट का आबंटन किस आधार अथवा मापदण्ड पर किया जाता है ;

(ग) सीमेंट जिसके द्वारा अन्य खुली बिक्री (फ्री सेल) करने वाले विभागों तथा संस्थाओं को महावार इसमें से कितनी मात्रा सप्लाई की गयी; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्ध करेगी कि राजस्थान के लिए आबंटित कोटा उसे शीघ्र दिया जाये ताकि राज्य सीमेंट की कमी को दूर कर सके ?

उद्योग मंत्री

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) राजस्थान के लिये सीमेंट का सामान्य तिमाही कोटा 1.33 लाख मीट्रिक टन है जिसमें से 1977 की तिमाही में राज्य की सीमेंट का आबंटन इस प्रकार किया गया है ।

अवधि	आबंटन
	मीट्रिक टन
जनवरी से मार्च 1977	1,73,695
अप्रैल से जून 1977	1,18,000
जुलाई से सितम्बर 1977	1,37,400

(ख) राज्यों की तिमाही कोटे का आबंटन पिछले वर्षों की वास्तविक खपत के आधार पर 1973 में नियत किए गये कोटे के अनुसार किया जाता है । सीमेंट की उपलब्धि के अनुसार अपवाद के मामलों में अतिरिक्त आबंटन भी किये जाते हैं ।

(ग) राजस्थान राज्य को जनवरी, 1977 से सितम्बर, 1977 की अवधि में खुली बिक्री श्रेणी तथा खुली बिक्री श्रेणी के अतिरिक्त भेजे गये सीमेंट का मासिक विवरण संलग्न है ।

(घ) अधिक सीमेंट उपलब्ध होने पर धीरे-धीरे राज्य के आबंटन में सुधार होता जायेगा ।